न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 1/रेगूलर/2024 (GCMS No. 2024/61)	01.04.2024	12.08.2024

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी
के.पाटन, जिला बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

श्री गोविन्द पुत्र दुर्गाशंकर चौधरी,
निवासी मात्रा रोड के.पाटन, तहसील के.पाटन जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी की ओर से श्री अमरसिंह राठौड एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–"ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, के.पाटन द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 01/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/61 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक श्री अमरसिंह राठौड उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 08.07.2024 को अपना जवाब पेश किया जाकर अप्रार्थी को उक्त जप्त गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को सिपुर्द किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 19.03.2024 को प्रवर्तन अधिकारी, शिवजीराम जाट बहमराह श्री दीपक कुमार महावर उपखण्ड अधिकारी के0पाटन अवैध रिफलिंग की लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों की जांच करने मात्रा रोड, के.पाटन पहुँचे। शिकायतानुसार मुख्य रोड स्थित एक दुकान पर छोटे वाहनों में एलपीजी भरने की जांच के दौरान मौके पर एक घरेलू सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन मय पाईप मय वायर एवं 01 रिफलिंग मशीन बिना पाईप के पाई गई। इस संबंध में दुकानदार गोविन्द चौधरी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। दुकानदार गोविन्द चौधरी का कृत्य संदेहास्पद व गैर कानूनी पाये जाने पर उक्त गैस सिलेण्डर व रिफलिंग मशीनों को मौके पर से जब्त किया गया। मौके पर फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त अवैध गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स आभा HP गैस सेन्टर के प्रतिनिधि श्री विष्णु नागर पुत्र महावीर नागर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी की मुख्य रोड पर स्थित दुकान मात्रा रोड, के0पाटन से 01 घरेलू सिलेण्डर एवं दो रिफलिंग मशीन पाया जाना बताया गया है, उसमें से एक घरेलू सिलेण्डर व एक रिफलिंग मशीन को प्रार्थी के द्वारा जप्त करना बताया गया है। अप्रार्थी के घर पर खाना बनाने हेतु प्रयुक्त उक्त घरेलू सिलेण्डर को अवैध एवं नल के पानी की मोटर को रिफलिंग मशीन बताकर जप्त किया गया है। जबकि अप्रार्थी ने इस प्रकार का कोई जुर्म नहीं किया और न ही गैस रिफलिंग का कार्य करता है। अतः अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध गैस भंडारण एवं गैर वैधानिक कार्य में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जाना नियम विरुद्ध है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का

विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंधन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डर मय सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन कि.ग्रा.
1	27830-J	HPCL	0.200 कि.ग्रा.
2	01 रिफलिंग मशीन मय पाईप व वायर, 01 रिफलिंग मशीन बिना पाईप		
		कुल गैस वजन	0.200 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर के नियमानुसार वापस कम्पनी को लौटाये जाने एवं 01 रिफलिंग मशीन मय पाईप व वायर, 01 रिफलिंग मशीन बिना पाईप के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार अविलम्ब पालना की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी